न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 33 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मालमसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गोदावास तहसील पाली		1. अनराज पुत्र ओटरमल जाति महाजन निवासी गोदावास तहसील पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23 / 2012 अनराज बनाम मालमसिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 25.07.1971 को भूमि का नियमन किया गया था। उक्त नियमन को आवंटन बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। चूंकि भूमि का आवंटन ही नहीं किया गया था, तो उस पर आवंटन नियम 14 (4) लागू ही नहीं होता था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया, क्योंकि नियत सुनवाई तिथि को अपीलाण्ट के अधिवक्ता बाहर गये हुए थे तथा अपीलाण्ट द्वारा पेशी ईल्तवा चाही गई थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। नियमन के पश्चात अपीलाण्ट के नाम भूमि बतौर खातेदारी दर्ज की गई है एवं अपीलाण्ट बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। विधि अनुसार एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों के अलावा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खातेदारी अधिकार निर्वापित नहीं किए जा सकते है। चूंकि अपीलाण्ट के पक्ष में भूमि का आवंटन ही नहीं हुआ, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमन को आवंटन मानते हुए निरस्त करने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि पूर्व में दिनांक 16.08.1967 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ओटरमल पुत्र मनरूप महाजन को आवंटित हो चुकी थी, किन्तु उक्त आवंटन के आधार पर राजस्व कार्मिकों ने नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि का लगान अदा किया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को भूमिहीन होना बताते हुए दिनांक 25.07.1971 को आवंटन करवाया। अपीलाण्ट मालमसिंह की खातेदारी भूमि ग्राम राखा में 118 बीघा आई हुई थी। इस प्रकार अपीलाण्ट भूमिहीन नहीं होने के कारण आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति नहीं था। चूंकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता को आवंटन हो चुकी थी तथा आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त थे। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 31.05.2012 को तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने अमद दरामद करने का आदेश पारित किया। चूंकि अपीलाण्ट के पास पूर्व से ही भूमि उपलब्ध थी, तो उन्हे भूमि का आवंटन किया ही नहीं जा सकता था। इस कारण उक्त आवंटन विधि विरूद्ध रूप से किया गया है तथा विधि विरूद्ध रूप से किए गए आवंटन को चुनौती देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अपीलाण्ट का कथन है कि उन्हे भूमि का आवंटन न होकर नियमन हुआ था, जबकि नियमन के कोई दस्तावेज ही नहीं है। जो आवेदन पत्र लगा है, वह आवंटन का है। इनके नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई है। अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए गए। आज भी जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। चूंकि अपीलाण्ट के पास पूर्व से ही भूमि उपलब्ध थी, तो अपीलाण्ट भूमि आवंटन अथवा नियमन की पात्रता ही नहीं रखता था। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि त्रुटी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु ग्राम गोदावास के खसरा नम्बर 01 में से 15 बीघा भूमि के आवंटन को लेकर है, जिसे अपीलाण्ट स्वयं को दिनांक 29.10.1972 को नियमन होना बताते है, वहीं रेस्पोडेन्ट इस भूमि को दिनांक 16.08.1967 को आवंटन होना बताते हुए इस भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त बता रहे है। इस सम्बन्ध में आवटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट मालमसिंह द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गोदावास के खसरा नम्बर 1 में से 15 बीघा भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया तथा साथ ही यह भी जाहिर

अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया कि अपीलाण्ट एवं उसके परिवार के नाम कोई भूमि नहीं होने के कारण अपीलाण्ट भूमिहींन है एवं आवंटन की पात्रता रखता है। इस पर तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अपीलाण्ट को वांछित भूमि आवंटन करने के आदेश पारित किए। रेस्पोडेन्ट का कथन रहा कि अपीलाण्ट भूमिहीन नहीं था। इन कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम राखाणा की जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028, 2029 से 2032 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2066 की सत्य प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ग्राम राखाणा के खसरा नम्बर 11, 58/1, 97, 99/1, 100, 107, 116 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 63.01 बीघा भूमि अपीलाण्ट की सह खातेदारी, भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा निहित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं था। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 11 (1) के अनुसार यह आज्ञापक प्रावधान है कि भूमि केवल किसी भूमिहीन व्यक्ति को और जिस सीमा तक वह भूमिहीन है, उस सीमा तक आवंटित की जायेगी। चूंकि अपीलाण्ट वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं था एवं स्वयं को भूमिहीन बताते हुए जैर अपील आवंटन करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध है तथा इस प्रकार छलपूर्वक किए गए आवंटन को किसी भी रूप में कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मातहत अदालत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटी प्रकट नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2012 अनराज बनाम मालमसिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23/8/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली